प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'अठहत्तर' [23/3/2018]

प्रश्न सं. [क्र. 4025]

परिशिष्ट

विधान सभा अतारांकित प्रश्न क्रमाक 4025 द्वारा श्री मोती कश्यप, जिला–कटनी, सत्र फरवरी–मार्च 2018

म.प्र. शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्र. 2131 दि. 16.04.2009 के अनुसार मण्डल स्तर पर निविदाओं के त्वरित निराकरण हेतु निम्नानुसार मण्डल स्तरीय समिति का गठन किया गयाः–

1. अधीक्षण यंत्री	–	अध्यक्ष
2. संबंधित कार्यपालन यंत्री	–	सदस्य सचिव
3. संलग्न अधिकारी (कार्यपालन यंत्री/सहायक यंत्री)	–	सदस्य
4. संभागीय लेखापाल	–	सदस्य
5. मण्डल अधीक्षक/मानचित्रकार	–	सदस्य

उक्त आदेश में यह भी उल्लेखित है कि किसी सदस्य की अनुपस्थिति में अध्यक्ष (अधीक्षण यंत्री) द्वारा किसी अन्य अधिकारी को नामांकित किया जा सकेगा।

उपरोक्त आदेश के अनुक्रम में अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जबलपुर के कार्यालयीन पत्र क्र. 1494 दि. 27.08.2015 द्वारा 04 सदस्यीय निविदा मूल्यांकन समिति का गठन किया गया जिसमें **1.** अधीक्षण यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल जबलपुर **2.** कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर **3.** कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा संभाग–कटनी (संबंधित संभाग) **4.** सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर शामिल हैं।

अतः सहायक यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर का चौथे सदस्य के रूप में शामिल किया जाना विभागीय निर्देशानुसार है।